

आउटकम बजट 2021.22

ग्राम्य विकास विभाग

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि		
			राजस्व	पूँजीगत							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	केन्द्र पोषित योजना	
1	आजीविका (डे-एन.आर. एल.एम.)	समस्त ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंच बनाना और उन्हें आजीविका के स्थाई अवसर मुहैया कराना है, उस समय तक उनका पोषण एवं संरक्षण किया जायेगा जब तक वे गरीबी से उपर उठकर एक सम्मानजनक जीवन न जीने लगे	8443.05	--	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन -29961 ग्राम संगठन की स्थापना—2073 कलस्टर लेबिल फैडरेशन — 95 बुक कीपर प्रशिक्षण—18205 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित—1436 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना—30582 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना— 25210 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड—21317 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना— 10108 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज— 11995	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन — 32250 ग्राम संगठन की स्थापना—3073 कलस्टर लेबिल फैडरेशन —155 बुक कीपर प्रशिक्षण—18205 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित—1436 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना—30582 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड—28317 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना— 12708 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज—19995	<ul style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन — 3000 ग्राम संगठन की स्थापना— 1200 कलस्टर लेबिल फैडरेशन —95 बुक कीपर प्रशिक्षण— 1002 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित— 120 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना— 4000 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड— 4000 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना— 4000 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज— 8000 	19995 स्वयं सहायता समूहों के 99975 सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा।	मार्च, 2022		
1.1	आजीविका (डे-एन.आर. एल.एम.)— स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करके गांवों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के सरकार के प्रयासों को क्रियान्वित करना।			<ul style="list-style-type: none"> प्रथम चरण के विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे पूर्ण कर दी गयी है। सी.आर.पी.ई.पी. चयन बी.आर.सी. कार्यालय स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> 308 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है। 	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना — 756 प्रथम चरण के विकासखण्डों में। बेसलाईन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में। 	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना — 756	मार्च, 2022		
1.2	आजीविका	योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में			प्रथम चरण के विकासखण्डों में		<ul style="list-style-type: none"> प्रथम चरण में 5000 महिला किसानों का 	5000 महिला किसानों का	मार्च, 2022		

क्र० सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(डे-एन.आर. एल.एम.)— महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)	व्यवस्थित निवेश करके महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना है ताकि उनकी भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकें और साथ ही ग्रामीण महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका सृजित किया जा सकें और उसे जारी रखा जा सके।			बैंस लाइन सर्वे		चयन ● लोकल युप –200 ● कृषि सखी–75 ● पशु सखी–25 सी.एच.सी.–100	को प्रशिक्षित कर इनका आजीविका संवर्द्धन किया जायेगा।	
2	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक—युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना।	5317.46	--	9804 युवक—युवतियों के प्रशिक्षण के सापेक्ष 490 युवक—युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है।	9804 युवक—युवतियों के प्रशिक्षण के सापेक्ष 1747 युवक—युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर लिया जायेगा।	● 11053 युवक—युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर लिया जायेगा। ● कम से कम 4965 युवक—युवतियों को विभिन्न सेवा सेक्टर में आश्वस्त रोजगार उपलब्ध कराना।	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक—युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत रूप से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन किया जायेगा।	मार्च 2022
3	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन के अन्तर्गत चयनित कलस्टरों में विकास	अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के कलस्टर को 'रबन गांवों' के रूप में विकसित करना।	2000.00	--	फेज-1 के जनपद हरिद्वार के भगतनपुर –आविदपुर एवं देहरादून के रानीपोखरी कलस्टरों एवं फेज-2 के जनपद टिहरी के धनौलटी तथा उत्तरकाशी के डुप्ला कलस्टर में कार्य किये जा रहे। फेज-3 के कलस्टर जनपद उ० सिह नगर के पहेनिया तथा जनपद वागेश्वर के कौशानी की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।	फेज-1, 2 तथा 3 के अन्तर्गत चयनित सभी कलस्टरों में कार्य प्रारम्भ कर लिये जायेंगे।	योजना के तहत अवस्थापना सेक्टर जैसे सड़क निर्माण, शौचालय निर्माण, स्कूल भवन की मरम्मत, पेयजल योजना का निर्माण, कृषि की योजना, पर्यटन की योजना का निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टीट लाइट लगाना, बागवानी आदि के कार्यों का क्रियान्वयन, शेष रुबन कलस्टरों में आगामी वर्ष में कार्य प्रारम्भ कर लिये जायेंगे।	रुबन कलस्टरों में आवासित जनमानस को सामुदायिक विकास के दृष्टिगत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा आजीविका सृजन कार्यक्रम, अवस्थापना विकास।	3 वर्ष
4	डी०आर०डी०ए० प्रशासनिक मद	डी०आर०डी०ए० के अन्तर्गत गठित गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ के	1000.00	--	--	--	गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ के कर्मचारी/अधिकारी- 131	गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ/	मार्च, 2022

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कर्मचारियों / अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान किया जाना						डी0आर0डी0ए0 के 131 कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा।	
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जिनके बयरक सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार गारंटी। निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना। सामाजिक समावेशन को अतिसक्रियता से सुनिश्चित करना। पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।	27244.86	--	206.25 लाख मानव दिवस सृजित कर सृजित करते हुए 5.04 लाख परिवारों के ..6.61 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 21906 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान किया।	275.00 लाख मानव दिवस सृजित कर लिये जायेंगे।	कुल 230.00 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा तथा कुल धनराशि ` 770.00 करोड़ का व्यय किया जायेगा।	1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 5.00 लाख परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ 85000 कार्य कराये जायेंगे। 2) आजीविका संवर्द्धन – लगभग 30000 लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा।	मार्च, 2022
6	प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण	SECC 2011 डाटा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में पीएमएवाई–जी हेतु पात्र पाये गये सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधा से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना।	19761.29	--	12662 आवास स्वीकृत तथा 12373 आवास पूर्ण किये गये।	289 आवास पूर्ण किये जायेंगे।	भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएमएवाई–जी अन्तर्गत पात्रता सूची से छूटे हुए 70834 परिवारों का पंजीकरण आवास प्लस के माध्यम से किया गया है। उक्त वर्णित परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 13399 का लक्ष्य प्रदान किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु 15000 आवासों का लक्ष्य प्राप्त होगा। जिसकी पूर्ति हेतु कुल रु0 32011.45 लाख की आवश्यकता होगी।	SECC-2011 के सर्वेक्षण के पात्र ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।	आवास स्वीकृति की तिथि से 01वर्ष के अन्तर्गत आवास पूर्ण कराने का लक्ष्य

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों (कोर नेटवर्क)को सर्वऋतु मार्गों से संयोजित किया जाना है	--	95475.02	उक्त योजना के अन्तर्गत 13160 किमी0 मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा 300 बसावटों को संयोजकता प्रदान की जाना प्रस्तावित है।	3800.00 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा 1518 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	2195.00 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की 54 असंयोजित बसावटों को बारहमासी मार्गों से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी अधिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार के अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	मार्च, 2022
8	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना किया जाना।	0.02	--	योजनान्तर्गत 796 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये।	योजनान्तर्गत 500 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।	500 परिवारों की ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी	500 परिवारों की ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति करते हुये महिलाओं के स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जायेगा।	मार्च, 2022
9	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)	राज्य के 5 सीमान्त जिलों के विकास हेतु	--	4020.00	वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 397 के सापेक्ष 397 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 359 कार्य पूर्ण किये गये हैं।	वित्तीय वर्ष 2018–19 के 371 कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2019–20 के 144 कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।	सीमान्त विकास खण्डों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं यथा—स्वारथ्य, सड़क एवं पुलें, डीडल्बूएस, शिक्षा, कृषि, खेलकूद गतिविधियों, सामाजिक क्षेत्र, मॉडल गांव, एम०एस०एम०८०, आदि सेक्टर सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	सीमान्त विकास खण्डों (09) के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के ग्रामों में आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के माध्यम से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	1 वर्ष
10	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास	विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, युवा/महिला मंगल दल, ग्राम संगठन	50.25	--	वित्तीय वर्ष 2019–20 में 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रांश एवं	31 जनवरी, 2021 तक 68 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 1725 प्रतिभागियों को	लगभग 75 प्रशिक्षण देकर 1875 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के	मार्च, 2022

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	संस्थान की स्थापना	के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केंद्रांश की धनराशि के सापेक्ष अनुमत्य राज्यांश।			राज्यांश के सापेक्ष प्राप्त धनराशि से आयोजित किये गये जिसमें 1703 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।	प्रशिक्षित किया गया है। 31 मार्च, 2021 तक 70 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 1800 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने प्रस्तावित हैं।		कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजना का नियोजन एवं क्रियान्वयन, पेयजल एवं स्वच्छता, बहुस्तरीय नियोजन, शासकीय व अर्द्धशासकीय कर्मचारियों का रिफेशर सम्बंधी प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दल के सदस्यों हेतु आय सर्जन गतिविधियों हेतु बुनियादी उपलब्ध सुविधाय करायी जायेगी।	
राज्य पोषित योजना									
1	विधायक निधि	प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	--	26625.00	13885 कार्य पूर्ण किये गये।	14000 कार्य पूर्ण किये जायेंगे।	क्षेत्रीय असंतुलन को दृष्टिगत रखते हुये मा0 विधायकों द्वारा संस्तुत विभिन्न विकास सम्बंधी कार्य किये जायेंगे।	मा0 विधायकों द्वारा संस्तुत योजनाओं/कार्य की स्वीकृति के पश्चात स्थानी स्तर पर विभिन्न विकास सम्बंधी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जायेगा।	मार्च, 2022
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एन.पी.वी.)	ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी बसावटों को बारह मासी सड़कों के लिये सड़क सम्पर्क मार्ग से जोड़ना, वृक्षारोपण एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान।	--	12900.00	680 मार्गों के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन०पी०वी एवं निजी भूमि हेतु प्रतिकर का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	117.00 मार्गों के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन०पी०वी एवं निजी भूमि हेतु प्रतिकर का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	04.00 मार्गों के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन०पी०वी एवं निजी भूमि हेतु प्रतिकर का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	असयोजित बसावटों को बारहमासी मार्गों से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और	मार्च, 2022

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								लाभदायक रोजगार के अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (आधिकार्य भुगतान)	निविदाएं/विचलन आदि मर्दों हेतु	--	2605.02	163.00 मार्गों का निर्माण पूर्ण किया गया है।	67 मार्गों का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	15.00 मार्गों का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	—तदैव—	मार्च, 2022
4	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण का भुगतान	योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत हेतु	4246.00	--	4230.00 किमी0 लम्बे मार्गों का अनुरक्षण किया गया है।	3487.00 किमी0 लम्बे मार्गों का अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	4000.00 किमी0 लम्बे पूर्ण मार्गों का अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	योजना अन्तर्गत निर्मित मार्गों को अनुरक्षण किया जाना हैं जिससे निर्मित मार्गों पर यातायात को सुचारू रखा जा सके।	मार्च, 2022
5	पी.एम.जी.एस. वाई के अन्तर्गत सैटेज चार्ज तथा पी.एम.सी. का भुगतान	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समय अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन०पी०सी०सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड एवं वैपकास के 04 खण्ड की सेवाएं ली गई हैं। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु	2000.00	--	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन०पी०सी०सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड एवं वैपकास के 04 खण्डों की सेवाएं ली गई हैं। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु वर्ष- 2020–21 में ₹0 20.00 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन०पी०सी०सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड एवं वैपकास के 04 खण्डों की सेवाएं ली गई हैं। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु वर्ष- 2020–21 में ₹0 20.00 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन०पी०सी०सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड एवं वैपकास के 04 खण्डों की सेवाएं ली गई हैं। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु वर्ष- 2020–21 में ₹0 20.00 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन०पी०सी०सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड एवं वैपकास के 04 खण्डों की सेवाएं ली गई हैं। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु वर्ष- 2020–21 में ₹0 20.00 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	मार्च, 2022
6	यू.आर.आर.डी.ए. के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाएं	जनपद पिथौरागढ़ में नाबार्ड पोषित कार्यों हेतु	--	0.01	जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में 92.00 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण पूर्ण किया गया है।	07.00 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	03.50 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में असयोजित बसावटों को बारहमासी मार्गों से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक	मार्च, 2022

क्र० सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2021–22	हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								रोगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपातकालीन निधि	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन मार्गों में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गों के अवरुद्ध होने पर उनको यातायात के सुचारु संचालन हेतु तुरन्त Emergency कार्य कराने होते हैं। इसके अतिरिक्त दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की मरम्मत/Restoration के कार्य भी कराने हेतु हैं।	--	500.00	--	70.00 क्षतिग्रस्त मार्गों की पुनर्स्थापना की जायेगी।	94.00 क्षतिग्रस्त मार्गों की पुनर्स्थापना की जायेगी।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन मार्गों में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गों के अवरुद्ध होने पर उनको यातायात के सुचारु संचालन हेतु तुरन्त Emergency कार्य कराने होते हैं। जिससे मार्गों पर यातायात को सुचारु रखा जा सके।	मार्च, 2022
8	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों पर विकास विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं परियोजना से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार एवं स्वरोजगार परक कार्यक्रमों, जलागम, आई.सी.डी.एस. सम्बन्धी कार्यक्रमों, त्रिस्तरीय पंचायतीराज के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।	40.00	--	--	31 जनवरी, 2021 तक 117 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए .3663 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। 31 मार्च, 2021 तक 255 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 6263 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने प्रस्तावित हैं।	लगभग 194 प्रशिक्षण देकर लगभग 6341 पंचायतीराज प्रतिनिधियों एवं विभिन्न राजकीय अधिकारी/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिससे कार्यालय प्रबन्धन में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज कार्मिकों के कौशल एवं कार्य दक्षता में वृद्धि।	मार्च, 2022
9	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सृजन	--	20.00	रु. 21.56 लाख व्यय किया गया है। प्रसार प्रशिक्षण के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र चमोली गोपेश्वर में अनावासीय भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र चमोली गोपेश्वर में अनावासीय भवन के निर्माण हेतु।	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र चमोली गोपेश्वर में अनावासीय भवन का निर्माण से कार्मिकों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध होगा।	मार्च, 2022
10	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज	धू०आई०आर०डी०पी०आर० के कार्यालय भवन आदि का निर्माण	--	50.25	वित्तीय वर्ष 2019–20 संस्थान परिसर में अवस्थित आवासीय एवं अनावासीय भवनों की	इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि रु. 20.00 लाख के सापेक्ष अनावासीय भवनों में मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य पूर्ण करवाया	राज्य सरकार से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संस्थान द्वारा प्रेषित प्रस्तावनुसार प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को	संस्थान परिसर में अवस्थित अनावासीय एवं आवासीय भवनों की	मार्च, 2022

क्र० सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	संस्थान प्रशिक्षण की स्थापना				बृहत्त मरम्मत, शीलन निवारण, रंगाई पुताई एवं रखरखाव का कार्य किया गया है।	जाना प्रस्तावित है। प्रेषित प्रस्तावानुसार रु 8.99 लाख राज्य सरकार से प्राप्त होना है।	अवमुक्त करते हुए संस्थान के अनावासीय भवनों का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है।	बृहत्त मरम्मत, शीलन निवारण, रंगाई पुताई से भवनों का उचित रखरखाव होगा।	
11	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज के विभिन्न अधिकारियों एवं लिपिक/लेखा संवर्गीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु	ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज के विभिन्न अधिकारियों एवं लिपिक/लेखा संवर्गीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु	50.00	--	वित्तीय वर्ष 2019–20 में 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें लगभग 857 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।	31 जनवरी, 2021 तक मद अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त न हो पाने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न नहीं किये जा सके। धनराशि प्राप्त होने उपरान्त 31 मार्च, 2021 तक 11 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 412 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने प्रस्तावित हैं।	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावानुसार अवमुक्त धनराशि से 25 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे जिसमें लगभग 750 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, रिफेशर प्रशिक्षण, जलागम विकास सम्बंधी प्रशिक्षण एवं नयी योजनाओं के संचालन, कार्यालय प्रबन्धन में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज कार्मिकों के कौशल एवं कार्य दक्षता में वृद्धि।	मार्च, 2022
12	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम	संस्थान में कार्यरत गैर शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन भत्तों हेतु	75.00	--	वित्तीय वर्ष 2019–20 में लगभग 43 कार्मिकों के वेतन भत्तों के सापेक्ष 81.41 लाख व्यय किया गया था जिसके सापेक्ष 18.00 लाख भारत सरकार एवं 63.41 लाख राज्य सरकार का व्यय हुआ था।	गैर शैक्षणिक कार्मिकों हेतु भारत सरकार के अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में लगभग 43 कार्मिकों के वेतन-भत्तों के सापेक्ष प्राप्त धनराशि 70.32 व्यय की जानी प्रस्तावित है। संस्थान को रु. 36.00 लाख अवमुक्त हो चुकी है शेष धनराशि अवमुक्त होनी है।	संस्थान में प्रतिनियुक्ति, नियमित पदों के सापेक्ष संविदा एवं स्वीकृत अन्य पदों के सापेक्ष आउटसोर्स सहित कुल 43 कार्मिक कार्यरत हैं।	संस्थान में कार्यरत गैर शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान किया जायेगा।	मार्च, 2022
13	मेरा गाँव मेरी सड़क	राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के रथानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पलायन की रोकथाम, आजीविका उपलब्ध कराना तथा गांव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराना	--	1300.00	20 सड़कें लम्बाई 19.02 किमी० में से 15 प्रगति पर एवं 5 अनारम्भ।	वर्ष 2014–15 व 15–16 की 344 सड़क व वर्ष 2018–19 एवं 19–20 की 20 सड़क कुल 364 सड़कों के सापेक्ष 335 सड़क पूर्ण हो गयी है। कुल 334.09 किमी० के सापेक्ष 322.70 किमी० सड़क का निर्माण किया गया। वर्ष 2020–21 में कुल 07 सड़कों के सापेक्ष 6.5 किमी० सड़क का निर्माण किया जायेगा।	योजनान्तर्गत प्रति विकासखण्ड 1–1 किमी की दो सड़क माहात्मा गांधी नरेगा के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से बनायी जायेंगी जिसकी 50प्रति० धनराशि मनरेगा से एवं 50प्रति० धनराशि मेरा गाँव मेरी सड़क से वहन किया जायेगा। योजनान्तर्गत लम्बाई 190 किमी० सड़क निर्मित करते हुये 18.54 लाख मानव दिवस सृजित किये जायेंगे।	सड़कों के निर्माण से एक ओर जहाँ रथानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा।	मार्च, 2022
14	सीमान्त क्षेत्र विकास	राज्य के सीमान्त जिलों के विकास हेतु गठित प्रकोष्ठ के कार्मिकों के	9.21	--	-	--	--	-	

क्र० सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	प्राधिकरण	वेतन भत्तों आदि हेतु							
15	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई प्रशासनिक व्यय	ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की मूल्यांकन/ अनुश्रवण हेतु गठित प्रकोष्ठ के वेतन भत्तों एवं प्रशासनिक व्यय आदि हेतु	20.00	--	--	--	कार्मिकों के नियत वेतन भत्तों एवं प्रशासनिक व्यय भुगतान एवं अतिरिक्त परामर्शी सेवाओं हेतु	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु गठित प्रकोष्ठ के अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्यय भत्तों का भुगतान	मार्च, 2022
16	इन्दिरा अम्मा भोजनालय अन्तर्गत सब्सिडी	समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की गयी है जिसका नाम “इन्दिरा अम्मा भोजनालय” है उक्त कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जायेगी	400.00	-	रु. 148.75 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गयी।	35 कैंटीनों के माध्यम से समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग के व्यक्तियों को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।	35 कैंटीनों के माध्यम से सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा जिससे स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा। समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।	समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध होगा तथा स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा।	मार्च, 2022
17	ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग	राज्य में हो रहे पलायन की रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलों में बेहतर आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु ‘ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग’ का गठन किया गया है।	131.66	-	रु. 63.52 लाख मानदेय/वेतन भत्ते एवं कार्यालय/प्रशासनिक व्यय का भुगतान किया जाया गया।	05 कार्मिकों के मानदेय, एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि का भुगतान किया जाना है।	मा० उपाध्यक्ष—01 संविदा कार्मिक—07 के मानदेय, एवं वेतन आदि	मा० सदस्य, अधिकारियों एवं कार्मिकों के मानदेय, वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय का भुगतान। मा. आयोग की शिफारिशों के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य में हो रहे पलायन की रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलों में बेहतर आधार भूत सुविधाओं की स्थापना में सहायता मिलेगी।	मार्च, 2022
18	रुरल विजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना	नई पहल के रूप में राज्य द्वारा आइफेड के वित्तीय सहयोग से दो रुरल विजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना कमश जनपद पौड़ी के दुगड़ा विकास खंड के कोटद्वारा	0.01	.	दो रुरल विजनेस इन्क्यूबेटर हब कमश कोटद्वार तथा हवालबाग में स्थापित किया जाने की प्रक्रिया संबंधित जनपदों द्वारा की जा रही है।	माह फरवरी 2021 तक ऐजेन्सी चयनित कर ली जायेगी तथा अवस्थापना विकास संबंधी पुनरुद्धार कार्य में लगभग 03 माह का समय लगेगा। इस अवधि के दौरान चयनित ऐजेन्सी द्वारा देहरादून में	कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत इन्क्यूबेटर्ज को लाभान्वित किया जायेगा। समस्त अवस्थापना पुनरुद्धार संबंधी कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। प्रीपरेटरी कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।	कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत लाभार्थियों की स्वरोजगार इकाई स्थापित कर दी जायेंगी।	01 वर्ष

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में की जा रही है।			साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ऐजेन्सी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।	स्थापित किये जाने वाले कार्यालय के माध्यम से सभी प्रीपरिटरी कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे			
19	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना—	योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	1800.00		योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति प्रक्रिया गतिमान है।	माह फरवरी 2021 तक स्वीकृत योजना के सापेक्ष धनराशि जनपदों को अवमुक्त कर दी जायेगी।	पलायन प्रभावी गाँवों में पलायन रोकथाम हेतु स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।	पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने तथा वहां पर रोजगार के अवसर पैदा किये जाने में सहयोग मिलेगा।	01 वर्ष
20	मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदों के 09 सीमान्त विकासखंडों में आवासित परिवारों को सतत आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुये सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना है। साथ ही रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जाना है। यह योजना शत प्रतिशत राज्य पोषित।	2000.00		सीमान्त विकास खण्डों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10–50 तक किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं यथा—स्वास्थ्य, सड़क एवं पुलों, डीडल्यूएस, शिक्षा, कृषि, खेलकूद गतिविधियों, सामाजिक क्षेत्र, मॉडल गाँव, एम०एस०एम०ई०, आदि सेक्टर सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	माह फरवरी 2021 तक स्वीकृत योजना के सापेक्ष धनराशि जनपदों को अवमुक्त कर दी जायेगी।	सीमान्त विकास खण्डों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10–50 तक किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	सीमान्त विकास खण्डों (09) के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 से 50 किमी के ग्रामों में आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के माध्यम से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	01 वर्ष
21	आईफैड(बाह्य सहायतित) समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (नयी योजना)	उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में सामुदायिक समूहों हेतु स्थायी रूप से आजीविका साधनों का संबद्धन कर गरीबी को कम करना	500.00	—	1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि	1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि	1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि	• 72% farmers reporting increased productivity • 100% federations and LCs operating successfully • 70% increase in farm gate price over baseline • 270-91 hect fellow	मार्च, 2022
					• कुल ग्रामीण 131722 गरीब परिवारों का आच्छादन • 14180 उत्पादक समूहों की क्षमता वृद्धि • 161 अजीविका संघ के 14180 उत्पादक समूह सदस्यों की क्षमता वृद्धि • 161 स्वायत्त सहकारिताओं का वित्त पोषण एवं क्षमता वृद्धि कर कृषि	• 161 अजीविका संघ के 14180 उत्पादक समूह सदस्यों की क्षमता वृद्धि • 161 स्वायत्त सहकारिताओं का 172 किसान आउटलेट व 25 ग्रोथ सेन्टर के माध्यम से कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित कर स्वाबलम्बी व सशक्त बनना। • 161 स्वायत्त सहकारिताओं का वित्त पोषण एवं क्षमता वृद्धि कर कृषि			

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>वृद्धि कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2145.8 हेक्टेयर फेसिंग कार्य का आच्छादन • 1425 हैक्टेयर भूमि पर चाराधास का रखरखाव व Gap filling • 1420 हैक्टेयर बंजर/ अनुपयोगी भूमि पर फलादार वृक्षों का रखरखाव व Gap filling • 164 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों के कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करना। • परियोजना जनपदों के 24398 नवयुवक/ नवयुवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम <p>सहभागी जलागम विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> • 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संदर्भन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग <p>आजीविका वित्तपोषण</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग • 6000 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग। • 5000 किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग 	<p>उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2145.8 हेक्टेयर फेसिंग कार्य का आच्छादन • 1425 हैक्टेयर भूमि पर चाराधास का रखरखाव व Gap filling • 1420 हैक्टेयर बंजर/ अनुपयोगी भूमि पर फलादार वृक्षों का रखरखाव व Gap filling • 164 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों के कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करना। • परियोजना जनपदों के 24398 नवयुवक/ नवयुवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम <p>सहभागी जलागम विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> • 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संदर्भन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित हेतु सहयोग <p>आजीविका वित्तपोषण</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग • 6000 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग। • 5000 किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग <p>सहभागी जलागम विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> • 190 ग्राम पंचायत के 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संदर्भन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित होना। 	<p>land brought under cultivation</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5015 hect area increased in rainfed crop and production • 57 % households assessing loan from financial institution (As project logframe) 		

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					आजीविका वित्तपोषण <ul style="list-style-type: none">● 3140 अवधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग● 4148 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग।● 21172 किसान केंडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग।		आजीविका वित्तपोषण <ul style="list-style-type: none">● 4140 अवधि ऋण उपलब्ध कराना● 10148 नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराना● 26172 किसान केंडिट कार्ड उपलब्ध कराना		

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी. 1, 9

क्र. स..	योजना का नाम	SDG संकेतक	1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित Projected आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2021–22	परिकल्पित Projected आउटकम (भौतिक स्थिति) 2021–22
1	2	3	4	5	6	8
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	Goal-1 Sub-Goal (1.1) <ul style="list-style-type: none"> a) Household deprived (SECCs) (lakhs)– Rural- 4.34 b) Propotion of population deprived rural – 4.34 Sub-Goal (1.2.1) <ul style="list-style-type: none"> a) No. of functional SHGs- 32006 b) No of credit Linked SHGs under NRLM - 18302 c) Proportion of population living below the State poverty line –4.34 	<ul style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन –29961 ग्राम संगठन की स्थापना– 2073 कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 95 बुक कीपर प्रशिक्षण– 16205 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–1436 प्रशिक्षित–1352 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना–30582 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड–28317 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 12708 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज–19995 	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 32250 ● ग्राम संगठन की स्थापना–3073 ● कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 155 ● बुक कीपर प्रशिक्षण–18205 ● आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–1436 ● स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना–30582 ● स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 4000 ● स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 4000 ● स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 4000 ● स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 8000 	19995 स्वयं सहायता समूहों के 99975 सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा।	
1.2	आजीविका (डे–एन.आर.एल.एम.)—स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	Goal-1 Enterprize establishment-308	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रथम चरण के विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे पूर्ण। ● सी.आर.पी.ई.पी. चयन ● बी.आर.सी. कार्यायल स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> ● 308 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 756 प्रथम चरण के विकासखण्डों में। ● बेसलाईन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में। 	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 756
1.3	आजीविका (डे–एन.आर.एल.एम.)—महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)	Goal-1 District--04 Block-04 Mahila kisan selection-5000 Local group- 200 Kirshi shaki-75 Pashu shaki-25 CHC-100	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रथम चरण के विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे 		<ul style="list-style-type: none"> ● प्रथम चरण में 5000 महिला किसानों का चयन ● लोकल ग्रुप –200 ● कृषि सखी–75 ● पशु सखी–25 ● सी.एच.सी.–100 	5000 महिला किसानों को प्रशिक्षित कर इनका आजीविका संवर्द्धन किया जायेगा।
2	दीन दयाल उपाध्याय	Goal-1 Sub-Goal (1.1) <ul style="list-style-type: none"> c) No.of deprived HHs provided covered 	9804 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के सापेक्ष 490 युवक–युवतियों का	9804 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के सापेक्ष 490 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ● 11053 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर लिया जायेगा। 	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक

क्र. सं..	योजना का नाम	SDG संकेतक	1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित Projected आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2021–22	परिकल्पित Projected आउटकम (भौतिक स्थिति) 2021–22
	ग्रामीण कौशल योजना	skill training programme	प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका था।	प्रारम्भ किया जा चुका था।	● कम से कम 4965 युवक— युवतियों को विभिन्न सेवा सेक्टर में आश्वस्त रोजगार उपलब्ध कराना।	स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत रूप से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन करना है।
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	Goal-1 Sub-Goal (1.3) a) Percentage of active jobcard holding HHs getting employment under MGNREGS- 71.90 b) Avg. days of employment under MGNREGS- 45.00	206.25 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 5.04 लाख परिवारों के 6.61 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 21906 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान किया।	275.00 लाख मानव दिवस सृजित कर लिये जायेंगे।	कुल 230.00 लाख मानव दिवसो का सृजन किया जाएगा तथा कुल धनराशि 770.00 करोड़ का व्यय किया जायेगा।	1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 5.00 लाख परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ 85000 कार्य कराये जायेंगे। 2) आजीविका संवर्द्धन – लगभग 30000 लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा।
4	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	Goal-1 Sub-Goal (1.3) A. SECC-2011 सर्वे के अन्तर्गत उपलब्ध लाभार्थी – 12662 1.Total available beneficiaries at district level as per SECC-2011 for PMAY-G= 12662 2. Total sanction house out of available beneficiaries= 12662 3. Total house completed against sanction= 12373 c) Percentage of rural HHs have pucca house 98%	12662 आवास स्वीकृत तथा 12373 आवास पूर्ण किये जायेंगे।	289 आवास पूर्ण किये जायेंगे।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से लक्ष्य अप्राप्त है।	SECC-2011 के सर्वेक्षण के ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड की धनराशि (नये फण्डिंग पैटर्न के अनुसार 90:10)	Goal-9 Sub-Goal (9.1) (a) 9.1 ग्रामीण मार्गों का भौतिक एवं सम्पर्क संयोजन मार्गों का निर्माण (किमी0) बसावटों का संयोजन ,संरचाद्व 54 चालू सड़कें 2195.00 किमी0 का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। (b) No. of Village link under PMGSY - 54	उक्त योजना के अन्तर्गत 13160 किमी0 मार्गों का निर्माण किया गया तथा 1518 बसावटों को संयोजकता प्रदान की जानी प्रस्तावित है।	3800.00 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा 300 बसावटों को संयोजकता प्रदान की जानी प्रस्तावित है।	2195.00 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की 54 असर्योजित बसावटों को बारहमासी मार्गों से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार के अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।

क्र. सं.	योजना का नाम	SDG संकेतक	1.4.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2021 की सम्भावित (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित Projected आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2021–22	परिकल्पित Projected आउटकम (भौतिक स्थिति) 2021–22
1	आईफैड(वाहय सहायतित) एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (नयी योजना)	Goal-1 Sub-Goal (1.1) a) Household deprived (SECCs) (lakhs)– Rural- 20672 b) Propotion of population deprived rural- 107494 c) Number of deprived household provide covered skill depeving programe- 1653 Sub-Goal (1.2.1) a) No. of functional PGs- 10328 b) No of credit Linked PGs- 4574 2.25 % of childrens age 6-59 months Who are anemic	1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि ● SECC अन्तर्गत कुल ग्रामीण 20672 गरीब परिवारों का आच्छादन ● कुल ग्रामीण 131722 गरीब परिवारों का आच्छादन ● कुल ग्रामीण 131722 गरीब परिवारों का आच्छादन ● 14180 उत्पादक समूहों कियान्वित ● 4574 उत्पादक समूहों को विभिन्न वित्तीयों योजनाओं के माध्यम से सहयोग उपलब्ध करवाया गया।	1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संवृद्धि ● SECC अन्तर्गत कुल ग्रामीण 20672 गरीब परिवारों का आच्छादन ● कुल ग्रामीण 131722 गरीब परिवारों का आच्छादन ● 14180 उत्पादक समूहों कियान्वित ● 4574 उत्पादक समूहों को विभिन्न वित्तीयों योजनाओं के माध्यम से सहयोग उपलब्ध करवाया गया।		संज्ञान में लाना है कि वर्तमान वर्ष 2020–21 (31 मार्च 2021) परियोजना का अंतिम वर्ष है। ● SECC अन्तर्गत आच्छादित कुल ग्रामीण 20672 गरीब परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार ● कुल ग्रामीण 131722 गरीब परिवारों का आच्छादन ● 14180 उत्पादक समूहों का कियान्वयन व सशक्तिप्रद होना। ● 4574 उत्पादक समूहों को विभिन्न वित्तीयों योजनाओं के माध्यम से सहयोग उपलब्ध करवाया जाना।